

न्यायालय—सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

आप. प्रक. क.—602/2012
 संस्थित दिनांक—24.07.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बिरसा
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

राजाराम वल्द नवलसिंह, उम्र—24 वर्ष,

निवासी अलीनटोला, थाना बिरसा, जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक—25/08/2014 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324, 506 (भाग—दो) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—17.07.2012 को रात्रि करीब 9:00 बजे ग्राम अलीनटोला, थाना बिरसा अंतर्गत फरियादी नारायण को लोकस्थान पर अश्लील शब्दों का उच्चारण कर क्षोभ कारित कर, धारदार लोहे की छोटी हथौड़ी को खतरनाक आयुध की तरह प्रयोग कर सिर पर मारकर स्वैच्छया उपहति कारित कर, जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—17.07.2012 को रात्रि करीब 9:00 बजे ग्राम अलीनटोला, थाना बिरसा अंतर्गत फरियादी नारायण जब आरोपी राजकुमार से तम्बाकू मांगने गया तो आरोपी अचानक आवेश में आकर उसे अश्लील गालियाँ दिया तथा सिर पर हथौड़ी से मारा और जान से मारने की धमकी दिया। फरियादी नारायण द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट थाना बिरसा में दर्ज करायी गई। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना बिरसा में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक—86/2012 अंतर्गत धारा—294, 324, 506 भा.दं.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया, पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया गया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये, आरोपी से घटना में प्रयुक्त सामग्री जप्त किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को धारा—294, 324, 506 (भाग—दो) भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान आहत नारायण ने आरोपी से राजीनामा

कर लिया, जिस कारण आरोपी के विरुद्ध धारा-294, 506 (भाग-दो) भा.द.वि. का अपराध शमन किया जाकर शेष अपराध धारा 324 भा.द.वि. हेतु आगे विचारण किया गया है। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-17.07.2012 को रात्रि करीब 9:00 बजे ग्राम अलीनटोला, थाना बिरसा अंतर्गत फरियादी नारायण को धारदार लोहे की छोटी हथौड़ी को खतरनाक आयुध की तरह प्रयोग कर सिर पर मारकर स्वैच्छया उपहति कारित ?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5- फरियादी/आहत नारायण (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि आरोपी उसका भतीजा है। घटना आज से लगभग दो वर्ष पूर्व शाम के 7-7:30 बजे ग्राम अलीनटोला में आरोपी के घर के सामने की है। घटना दिनांक को वह आरोपी के पास तम्बाकू मांगने गया था तो आरोपी आवेश में आकर उसे धक्का दिया था, उक्त बात को लेकर उसका आरोपी से वाद-विवाद हुआ था। उसके द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट थाना बिरसा में प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-3 लेख कराया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका मुलाहिजा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में कराया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-4 तैयार की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्ष विरोधी ढ णोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने आवेश में आकर उसे हथौड़ी से मारा था। साक्षी ने उसके द्वारा लिखायी गई प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-3 में आरोपी द्वारा हथौड़ी से मारे के कथन लेख कराये जाने से भी इंकार किया है। साक्षी ने पुलिस को प्रदर्श पी-5 के अ से अ भाग का कथन दिये जाने से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने स्वयं फरियादी व आहत होते हुए भी अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

6- अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी प्रेमबती (अ.सा.1) एवं मीना (अ.सा.2) ने अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। उक्त साक्षी के अलावा अभियोजन की ओर से किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी या महत्वपूर्ण साक्षी की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार स्वयं फरियादी/आहत ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है और न ही अन्य साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन का समर्थन किया है। प्रकरण में आरोपी द्वारा कथित धारदार हथियार या साधन का उपयोग कर कथित मारपीट किये जाने का तथ्य प्रकट नहीं होता है। ऐसी दशा में

आरोपी के विरुद्ध कथित धारदार साधन के द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

7— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि कथित घटना दिनांक व स्थान में आरोपी ने आहत नारायण को धारदार लोहे की छोटी हथौड़ी को खतरनाक आयुध की तरह प्रयोग कर सिर पर मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। अतएव आरोपी को धारा-324 भा.द.वि. के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

8— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

9— प्रकरण में जप्तशुदा लोहे की हथौड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट